राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2151/2016
बृजेश कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.02.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : अनुपस्थित
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि आदेश दिनांक 28.11.1989 के द्वारा अपीलार्थी को व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) के पद पर पदोन्नति का लाभ दिया गया। अपीलार्थी ने एमएससी (भौतिक विज्ञान) वर्ष 1989 में पूरी कर ली थी, परन्तु अपीलार्थी की एमएससी की डिग्री का उल्लेख वरीयता सूची में नहीं होने के कारण अपीलार्थी को वर्ष 1997–98 होने वाली व्याख्याता पद की डीपीसी में पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है अपीलार्थी को तदर्थ रूप से वर्ष 1989 में ही व्याख्याता के पद पर एमएससी की डिग्री होने के कारण लगाया गया था, परन्तु बाद में डीपीसी के समय लिपिकीय त्रुटि के कारण अपीलार्थी की एमएससी डिग्री का उल्लेख नहीं होने के कारण अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ नहीं दिया गया है, जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नत का लाभ दिया गया है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी का नाम वर्ष 1988–90 की अवधि हेतु जारी द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रमांक 3112 पर दर्ज है, लेकिन वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी की एस०एस०सी० भौतिक की योग्यता आदेश दिनांक 03.09.2015 के द्वारा जोडी गई है। संबंधित वरिष्ठता सूची

में योग्यता दर्ज होने के उपरांत इन्हें प्राध्यापक स्कूल शिक्षा भौतिक की चयन वर्ष 2016–17 हेतु रिक्तियों के प्रति नियमानुसार डीपीसी से चयनित कर लिया गया। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा भौतिक की चयन वर्ष 1997–98 से 2001–02 तक नियमित डीपीसी की बैठक दिनांक 29.04.2005 को आयोजित की गई थी। उक्त बैठक के समय अपीलार्थी की संबंधित वरिष्ठता सूची में एस.एस.सी भौतिक योग्यता दर्ज नही थी। अतः अपीलार्थी का नाम चयन हेतु निर्मित पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना नियमानुसार सम्भव नहीं था। विभाग द्वारा द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद की संबधित उपनिदेशक माध्यमिक कार्यालय स्तर पर अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी की जाकर आपत्तियों आमन्त्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुए मण्डल स्तरीय वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। इसके उपरान्त विभाग द्वारा सभी मण्डलों की स्थाई वरिष्ठता सूचियों को मिश्रित किया जाकर राज्य स्तरीय अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाकर आपत्तियों आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत राज्य स्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची जारी की जाती है। इस प्रकार सभी अभ्यर्थियों को जारी वरिष्ठता सूचियों को पहले मण्डल स्तर पर एवं बाद में राज्य स्तर पर आपत्ति प्रस्तुत करने का दो बार अवसर प्रदान किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा समय पर एमएससी की योग्यता संबंधित वरिष्ठता सूची में दर्ज करने हेतु कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई ।

3. हमनें दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने एमएससी वर्ष 1989 में की थी और इस कारण से ही अपीलार्थी को व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) के पद पर तदर्थ एवं अस्थायीरूप से पदोन्नति का लाभ दिया गया था। ऐसे में प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी के द्वारा एमएससी किये जाने की जानकारी थी। वरीयता सूची में एमएससी की डिग्री को नहीं जोड़ने की त्रुटि विभाग की रही है। जिस कारण से अपीलार्थी को डीपीसी के दौरान विचार में नहीं रखा जाना गलत था।

4. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के पास एमएससी की डिग्री होना मानते हुए वर्ष 1997–98 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति के लिये अपीलार्थी के सम्बन्ध में रिव्यू डीपीसी आयोजित की जाए एवं अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जाए। यदि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति हेतु योग्य पाता है तो अपीलार्थी को पदोन्नति का लाभ एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जाए।

5. इस आदेश की पालना तीन माह में सुनिश्चित की जाए। इस आदेश की एक प्रति पालना हेतु प्रत्यर्थी विभाग को भेजी जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)